190

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक 24/6/2014

क्रमांक एफ–13–5/2010/ई/चार:– वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 13–5/2010/ई/चार दिनांक 9.02.2012 द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना के नेटवर्क प्लान के अनुसार नेटवर्क स्थापित करने के लिए पर्यावास भवन स्थित डेटा सेंटर (DC), नवीन कलेक्ट्रेट ग्वालियर स्थित डिजास्टर रिकवरी सेंटर(DR) तथा स्टेट डाटा सेंटर स्थित नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर(NDR) के मध्य निम्नानुसार नेटवर्क स्थापित करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) प्राइमरी नेटवर्क के रूप में :–

a) डिजास्टर रिकवरी सेंटर ग्वालियर से स्टेट डाटा सेंटर स्थिति एम.पी.स्वॉन के मध्य 118 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी,
b) आई.एफ.एम.आई.एस., डेटा सेंटर, पर्यावास भवन, भोपाल से डिजास्टर रिकवरी सेंटर ग्वालियर के मध्य 24 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी
c) स्टेट डेटा सेंटर स्थित नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर से डिजास्टर रिकवरी सेंटर ग्वालियर के मध्य 24 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी,
d) आई.एफ.एम.आई.एस., डेटा सेंटर, पर्यावास भवन, भोपाल से स्टेट डेटा सेंटर स्थित नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर के मध्य डेडिकेटेड लिंक के रूप में कनेक्टीविटी,
e) डिजास्टर रिकवरी सेंटर ग्वालियर में इन्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर से इंटरनेट हेतु (ISP1) 12 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी

(ब) सेकेण्डरी नेटवर्क के रुप में :–

a) आई.एफ.एम.आई.एस., डेटा सेंटर, पर्यावास भवन, भोपाल से एस.डी.सी. स्थित एमपी स्वान लिंक हेतु 236 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी,
b) डिजास्टर रिकवरी सेंटर ग्वालियर से स्टेट डेटा सेंटर स्थित एमपी स्वान लिंक हेतु 118 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी,
c) आई.एफ.एम.आई.एस., डेटा सेंटर, पर्यावास भवन, भोपाल में इन्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर से इंटरनेट (ISP2) लिंक 24 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी,
d) डिजास्टर रिकवरी सेंटर ग्वालियर में इन्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर (ISP2) से इंटरनेट हेतु 12 Mbps वैण्डविड्थ की कनेक्टीविटी ।

25/6/14

poonam1

(स) उपर्युक्त स्वीकृति हेतु म0प्र0 वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 भाग एक के खण्ड दो के सरल कमांक 2.25 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सहमति प्राप्त की गई है।

3 केन्द्रीयकृत राज्य सूचना वित्तीय प्रणाली (सी.एस.एफ.एम.एस.) में वर्तमान में उपलब्ध 2 Mbps इंटरनेट लिंक को आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए अपग्रेड कर 24 Mbps किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4 वर्तमान केन्द्रीयकृत राज्य सूचना वित्तीय प्रणाली (सी.एस.एफ.एम.एस) अंतर्गत समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों, समस्त कोषालयों तथा समस्त उपकोषालयों में वर्तमान में उपलब्ध VPNoBB की वैण्डविड्थ 512 Kbps से बढाकर कमशः 1 Mbps, 4 Mbps तथा 1 Mbps किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5 आई.एफ.एम.आई.एस., डेटा सेंटर, पर्यावास भवन, भोपाल से अरेरा हिल्स एक्सचेंज (बी.एस.एन.एल.) भोपाल के मध्य स्थापित वर्तमान VPNoBB नेटवर्क वैण्डविड्थ को 18 Mbps से बढाकर 236 Mbps किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6 प्राइमरी नेटवर्क हेतु सेवा प्रदाता के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, से सेवाएं लेने तथा सेकण्डरी नेटवर्क हेतु निविदा के आधार पर सेवा प्रदाता का चयन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7 पैरा–6 अनुसार, सेवा प्रदाता के चयन के लिये निविदा स्वीकार करने हेतु आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0 भोपाल को अधिकृत किया जाता है।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक२५ / 6 / 2014

पृ.क्र. एफ 13–5 / 2010 / ई / चार,
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, म0प्र0 ग्वालियर।
2. सचिव,म0प्र0शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0 भोपाल।
4. कोषालय अधिकारी विंध्याचल भवन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

poonam2